[2018] 9 एस. सी. आर. 526

भारत और भारत में क्रिकेट के लिए नियंत्रण बोर्ड।

वी.

बिहार और ओआरएस का क्रिकेट संगठन।

(2014 की सिविल अपील संख्या 4235)

अगस्त 09,2018

[दीपक मिश्रा, सीजेआई, ए. एम. खानविलकर और

डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे. जे.]

खेल क्रिकेट-प्रशासन में सुधार-मसौदा

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बी. सी. सी. आई.) का गठन -

न्यायमूर्ति श्री आर. एम. लोढ़ा की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा क्रिकेट के प्रशासन में प्रस्तावित सुधार-भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड बनाम क्रिकेट संघ में उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वीकार किए गए

बिहार की रिपोर्ट [2015] 1 एस. सी. आर. 165-की एक समिति

प्रशासकों (सी. ओ. ए.) को संविधान का मसौदा तैयार करने का काम सौंपा गया है।

-

सी. ओ. ए. ने बी. सी. सी. आई. और उसके पदाधिकारियों के लिए संविधान का मसौदा दाखिल किया

विभिन्न हितधारकों से प्राप्त मसौदे के लिए सुझाव-आयोजितः

(महाराष्ट्र, मुंबई और विदर्भ) और गुजरात में (गुजरात, बड़ौदा और सौराष्ट्र) का लंबा और स्थायी इतिहास रहा है।

भारत में क्रिकेट के लिए प्रतिभा का पोषण-बी. सी. सी. आई. के संविधान में उपरोक्त संघों की पूर्ण सदस्यता बहाल कर दी गई है।

हालांकि, पूर्ण सदस्यों का दर्जा नहीं देने का निर्णय

राष्ट्रीय क्रिकेट क्लब और भारतीय क्रिकेट क्लब का रखरखाव किया जाता है-भारतीय क्रिकेट के लिए रेलवे खेल संवर्धन बोर्ड (रेलवे) का योगदान उल्लेखनीय है-रेलवे के संबंध में संविधान के मसौदे में न्यायमित्र द्वारा प्रस्तावित संशोधन को स्वीकार किया जाता है।

क्रिकेट के प्रचार में सेना, नौसेना और वायु सेना सहित सेवा खेल नियंत्रण बोर्ड, रेलवे के मामले में भी वही सिद्धांत अपनाया जाता है जिसका उनके मामले में भी पालन किया जाता है-भारतीय संघ को भी पूर्ण सदस्यता प्रदान की जाती है

विश्वविद्यालय-चयनकर्ताओं की संख्या तीन से बदलकर पाँच कर दी गई - बी. सी. सी. आई. और राज्य में पदाधिकारी के सभी पदों के लिए कार्यकाल

संघ तीन साल के होंगे-किसी व्यक्ति द्वारा राज्य संघ में लगातार दो कार्यकालों के लिए पदाधिकारी का पद संभालने के बाद तीन साल की कूलिंग ऑफ अवधि होगी।

या बी. सी. सी. आई. में या दोनों के संयोजन में-इसके अलावा, उपखंड 15 (1) के प्रशासन के लिए जिम्मेदार शीर्ष परिषद के संबंध में

बोर्ड ने अयोग्यताओं के संबंध में, संशोधनों के साथ प्रस्तावित संविधान के मसौदे के खंड 29,33 (1), 33 (2) और 45 को मंजूरी दी-आगे के निर्देश जारी किए।

क्रिकेट के प्रशासन में सुधार प्रस्तावित किए गए थे।

एसोसिएशन ऑफ बिहार ने [2015] 1 एससीआर 165 के रूप में रिपोर्ट किया। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि प्रशासकों की एक समिति (सी. ओ. ए.) भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बी. सी. सी. आई.) के प्रशासन की निगरानी करेगी। सीओए का गठन किया गया था। 24 जुलाई, 2017 को उच्चतम न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ लोढ़ा समिति की सिफारिशों को लागू करने का निर्देश दिया। सी. ओ. ए. को फैसले के अनुसार संविधान का मसौदा तैयार करने का काम सौंपा गया था 18 जुलाई, 2016 को दिया गया और 24 जुलाई, 2017 को आदेश दिया गया। विभिन्न हितधारकों से मसौदे के लिए प्राप्त सुझाव सी. ओ. ए. द्वारा प्रस्तावित पर टिप्पणियों के साथ दायर किए गए थे

12 जनवरी, 2018 की स्थिति रिपोर्ट में दिए गए सुझाव। 5 जुलाई, 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के मसौदे को अंतिम रूप देने के सवाल पर आदेश सुरक्षित रख लिए।

निर्देश जारी करते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना: A. सदस्यता और सहयोगी से संबंधित मुद्दे

सदस्यता: एक राज्य-एक वोट 1.1 संविधान के मसौदे के नियम (3) (ए) (आई) में विचार किया गया है कि बी. सी. सी. आई. की सदस्यता में (आई) पूर्ण सदस्य और (आई) पूर्ण सदस्य शामिल होंगे।

सहयोगी सदस्य। ऐतिहासिक रूप से महाराष्ट्र राज्य में तीन संघ रहे हैं, जिनमें से प्रत्येक ने रणजी ट्रॉफी में अपनी क्रिकेट टीम को मैदान में उतारा है: ((i) महाराष्ट्र; (ii) मुंबई और (iii) विदर्भ। इसी तरह, गुजरात राज्य में, तीन संघों ने प्रतिनिधित्व किया है: (i) गुजरात; (ii) बड़ौदा; और (iii) सौराष्ट्र। दोनों राज्यों में, इन संघों ने देश के क्रिकेट इतिहास में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। रणजी ट्रॉफी के लिए क्षेत्ररक्षण करने वाली टीमों के अलावा, इन संघों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के खिलाड़ी तैयार किए हैं। [2018] 9 एस. सी. आर. के संविधान में पूर्ण सदस्यता बहाल करना आवश्यक है।

खंड 3 (ए) (ii-B) में सुझाए गए नियमों के अनुसार बी. सी. सी. आई. की पूर्ण सदस्यता होनी चाहिए। यह समावेशन का सिद्धांत बन जाता है। बहिष्करण के आधार के रूप में क्षेत्रीयता का उपयोग करना समस्याग्रस्त है क्योंकि यह क्रिकेट के विकास और इसकी लोकप्रियता में उपरोक्त संघों द्वारा दिए गए योगदान और इतिहास की उपेक्षा करता है। महाराष्ट्र राज्य में मुंबई और विदर्भ और गुजरात राज्य में बड़ौदा और सौराष्ट्र द्वारा क्रिकेट के खेल में किए गए योगदान को ध्यान में रखते हुए,

उन्हें बी. सी. सी. आई. की पूर्ण सदस्यता प्रदान करना भी उचित है।

बनाए रखा। रणजी ट्रॉफी में दोनों क्लबों में से कोई भी टीम मैदान में नहीं उतरती है। इन्हें दूसरे राज्य के बराबर नहीं रखा जा सकता है। संघों। [पैरा 6,9 और 10] [538-ई-एफ; 541-जी-एच; 542-ए-बी, जी; 545-ए-डी]

रेलवे 1.2 रेलवे खेल संवर्धन बोर्ड का योगदान

(" रेलवे) भारतीय क्रिकेट के लिए उल्लेखनीय है। न्यायमित्र द्वारा संविधान के मसौदे में प्रस्तावित संशोधन को स्वीकार कर लिया जाता है। यह विशेष रूप से स्पष्ट किया जाता है कि रेलवे का प्रतिनिधि जो मतदान शक्ति का प्रयोग करेगा, वह एक पूर्व क्रिकेटर होना चाहिए जिसने भारतीय रेलवे का प्रतिनिधित्व किया हो और जिसे भारतीय रेलवे के पूर्व खिलाड़ियों के संघ द्वारा चुना गया हो, न कि सरकार या रेलवे खेल संवर्धन बोर्ड द्वारा नामित व्यक्ति। [पारस 11,13 और 14] [545-डी-ई; 546-डी, एफ-जी]

भारतीय विश्वविद्यालयों की सेवाएँ और संगठन

1.3 सेवा खेल नियंत्रण बोर्ड ("सेवा") दल राष्ट्र के सशस्त्र बलों का प्रतिनिधित्व करता है। सेवाओं में एक है

सामान्य रूप से भारतीय खेलों के साथ और भारत में क्रिकेट के लिए नियंत्रण बोर्ड के साथ जुड़ाव का लंबा इतिहास v.

बिहार का क्रिकेट संघ

क्रिकेट भी। खेल और क्रिकेट के प्रचार में सेना, नौसेना और वायु सेना सहित सेवाओं के पूर्व-प्रतिष्ठित पद को ध्यान में रखते हुए, उसी सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए जिसका रेलवे के मामले में पालन किया जाता है। इसी तरह, विश्वविद्यालय एक केंद्र हैं

देश में कॉलेज जाने वाली पीढ़ी के खिलाड़ियों के बीच क्रिकेट के खेल को प्रोत्साहित करना। इसलिए, भारतीय विश्वविद्यालय संघ की पूर्ण सदस्यता भी प्रदान की जाती है। द.

संविधान के मसौदे में प्रस्तावित संशोधन

रेलवे के मामले में न्यायमित्र द्वारा सेवाओं और भारतीय संघ को भी शामिल करने के लिए उपयुक्त रूप से संशोधित किया जाएगा।

विश्वविद्यालय। सेवाओं और भारतीय विश्वविद्यालय संघ के लिए क्रमशः प्रतिनिधि एक पूर्व क्रिकेटर होगा जो क्रमशः उनके लिए खेला है और पूर्व खिलाड़ियों के संघ द्वारा चुना जाता है न कि सरकार/खेल नियंत्रण बोर्ड द्वारा नामित व्यक्ति द्वारा। [पैरा 16] [547-जी-एच; 548-ए-सी]

B. चयनकर्ताओं की संख्या

1.4 लोढ़ा समिति ने चयनकर्ताओं की संख्या तीन तक सीमित कर दी। चयन समिति को विभिन्न स्तरों पर भागीदारी के लिए क्रिकेट टीमों के चयन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। लोढ़ा समिति ने विशिष्ट उद्देश्य के साथ चयनकर्ताओं की संख्या को तीन तक सीमित करने की सिफारिश की थी

आकार की सघनता, निर्णय लेने का अधिकार और प्रदर्शन की निगरानी सुनिश्चित करना। इन कारकों को ध्यान में रखते हुए, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि एक व्यापक आधार वाली चयन समिति का उद्देश्य जो सावधानीपूर्वक चयन प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाता है। देश भर में प्रतिभा पूल का मूल्यांकन किया जाता है। देश का विशाल क्षेत्र, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर खेले जाने वाले क्रिकेट का विस्तार, क्रिकेटरों के पूल से प्रतिभा का पता लगाने के लिए चयनकर्ताओं को बड़े पैमाने पर यात्रा करने की आवश्यकता और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट दोनों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता, ऐसे विचार हैं जो चयनकर्ताओं की संख्या को पांच में बदलने के संबंध में संशोधन की याचिका को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करते हैं। न्यायमित्र ने इस सुझाव का भी समर्थन किया है कि चयनकर्ताओं की संख्या बढ़ाकर पांच की जाए। हालाँकि, उन्होंने यह भी संकेत दिया कि यह कम से कम (ए) सात टेस्ट मैच; या (बी) तीस प्रथम श्रेणी मैच; या (सी) पचास ओवर के प्रारूप [2018] 9 एस. सी. आर. में दस एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले चयनकर्ता के मानदंडों के अधीन होना चाहिए।

और कम से कम बीस प्रथम श्रेणी मैच। तदनुसार न्यायमित्र द्वारा सुझाए गए प्रस्तावित संशोधन को स्वीकार कर लिया जाता है। बी. सी. सी. आई. के चुनाव होने तक, प्रशासकों की समिति (सी. ओ. ए.) को क्रिकेट सलाहकार समिति के साथ परामर्श करने का अधिकार है, जिसमें प्रतिष्ठित पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर शामिल हैं और उपरोक्त मानदंडों के अनुरूप चयनकर्ताओं की समिति का गठन करने का अधिकार है। प्रशिक्षकों, प्रबंधकों, फिजियोथेरेपिस्ट और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति के संबंध में, संशोधन खंड 24 (5) में सुझाए गए सुझाव को स्वीकार किया जाता है। [पैरा 17,18,21,22 और 23] [548-सी, डी; 550-ए-डी; 551-एफ-जी]

सी. कूलिंग ऑफ पीरियड

1.5 आवश्यकताएँ कि एक पदाधिकारी का कार्यकाल तीन साल होना चाहिए; और यह कि एक व्यक्ति को नौ साल से अधिक की अवधि के लिए बी. सी. सी. आई. में पद नहीं संभालना चाहिए।

(पद की परवाह किए बिना) राज्य संघों के लिए नौ साल की समान शर्त के साथ स्पष्ट रूप से जनहित में है। दोनों शर्तें शक्ति के केंद्रीकरण के खिलाफ सुनिश्चित करने के लिए मूल्यवान सुरक्षा उपाय हैं। एक कूलिंग ऑफ अवधि देखी जानी चाहिए। कूलिंग ऑफ अवधि की कई विशेषताएं हैं जो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं: ((i) यह निहित व्यक्तिगत हितों के विकास के खिलाफ एक सुरक्षा है; (ii) यह निहित स्वार्थों के खिलाफ सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

यह निर्देश देना कि किसी व्यक्ति के बी. सी. सी. आई. या किसी राज्य संघ या दोनों के संयोजन में लगातार दो कार्यकाल रखने के बाद तीन साल की कूलिंग ऑफ अवधि लागू होगी। उदाहरण के लिए, यदि किसी पदाधिकारी ने राज्य संघ में किसी भी पद पर लगातार दो कार्यकाल तक पद संभाला है, तो ऐसे व्यक्ति को तीन साल की कूलिंग ऑफ अवधि का सामना करना होगा। इसी तरह, यदि किसी व्यक्ति ने लगातार छह साल की कुल अवधि के लिए बी. सी. सी. आई. के पदाधिकारी के रूप में कोई पद संभाला है, तो व्यक्ति के पास बी. सी. सी. आई. या राज्य संघ के लिए फिर से चुनाव लड़ने से पहले तीन साल की अवधि होनी चाहिए। कूलिंग ऑफ अवधि होगी ऐसी स्थिति में भी आवेदन करें जहां कोई व्यक्ति भारत में क्रिकेट के लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल के लिए एक पद रखता है।

बिहार का क्रिकेट संघ

एक राज्य संघ में कार्यकाल के बाद बी. सी. सी. आई. में एक पद क्रमिक रूप से या इसके विपरीत। यह सुनिश्चित करेगा कि लगातार दो कार्यकालों वाली छह साल की अवधि के बाद, एक शीतलन अवधि आकर्षित होगी। किसी व्यक्ति को लगातार छह साल तक पदाधिकारी के रूप में कार्य करने की अनुमति देना काफी लंबी अवधि है।

एक ही समय में शक्ति के एकाधिकार के परिणामस्वरूप खेल के हित में तैनात होने के लिए प्राप्त अनुभव और ज्ञान। उपरोक्त सिद्धांत संविधान के प्रारूप के खंड 6 (4) के साथ-साथ खंड 14 (4) को भी नियंत्रित करेगा। उपरोक्त सिद्धांत यह सुनिश्चित करेगा कि कूलिंग ऑफ अवधि लगातार दो कार्यकालों के लिए किसी भी पद पर रहने वाले व्यक्ति पर लागू होगी जो छह साल से अधिक नहीं होगी। [पैरा 29,32 और 33] [554-एफ-जी; 555-ई-एच; 556-ए-बी, डी-ई]

1.6 वर्तमान आदेश में अनुमोदित स्थिति निम्नलिखित प्रभाव से होगी:

(i) बी. सी. सी. आई. और राज्य संघों में पदाधिकारी के सभी पदों का कार्यकाल तीन साल का होगा; (ii) कोई भी व्यक्ति पद धारण नहीं करेगा।

किसी भी राज्य संघ में, पद की परवाह किए बिना, कुल मिलाकर नौ वर्ष से अधिक की अवधि के लिए पदाधिकारी का पद; (iii) कोई भी व्यक्ति बी. सी. सी. आई. में, पद की परवाह किए बिना, कुल मिलाकर नौ वर्ष से अधिक की अवधि के लिए पदाधिकारी का पद नहीं संभालेगा; (iv) किसी व्यक्ति के राज्य संघ या बी. सी. सी. आई. में या दोनों के संयोजन में लगातार दो कार्यकालों के लिए पदाधिकारी का पद संभालने के बाद तीन साल की शीतलन अवधि होगी; और (v) 'पदाधिकारी' अभिव्यक्ति को किसी अन्य समिति या बी. सी. सी. आई. या किसी राज्य में शासी परिषद के सदस्य होने से दरकिनार करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

संघ, जैसा भी मामला हो। [पैरा 34] [556-ई-एच; 557-ए-बी]

घ. कार्य प्रभाग, व्यावसायिक प्रबंधन और

अयोग्यताएँ

1.7 शीर्ष परिषद को कार्य सौंपा गया है -

पारदर्शी और पेशेवर आधार पर भर्ती की गई। नौ में से शीर्ष परिषद के पांच सदस्य (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, संयुक्त सचिव, खज़ानची और एक सदस्य) का चुनाव आम निकाय द्वारा किया जाता है। शीर्ष परिषद के संबंध में खंड 15 (1) को मंजूरी दी गई है। [पारस 35,36] [557-बी-सी, एफ-एच] [2018] 9 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ई. अयोग्यताएँ

1.8 अयोग्यताओं के संबंध में, मसौदे में खंड

आनुषंगिक संशोधनों के साथ प्रस्तावित संविधान के रूप में

न्यायमित्र द्वारा सुझाए गए सुझाव को स्वीकार किया जाता है। संशोधनों के साथ संविधान के मसौदे के खंड 29,33 (1), 33 (2) और 45 हैं:

स्वीकृत किया गया। एक बार संविधान के मसौदे को उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुमोदित कर दिए जाने के बाद, किसी भी संशोधन को उच्चतम न्यायालय की अनुमति के बिना प्रभावी नहीं किया जाना चाहिए। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि 27 अक्टूबर 2017 को सी. ओ. ए. द्वारा प्रस्तुत संविधान के मसौदे को अब सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त संशोधनों के अधीन मंजूरी दे दी गई है, निम्नलिखित निर्देश जारी किए गए हैं:

1. तमिलनाडु समितियों के तहत समितियों का पंजीयक

पंजीकरण अधिनियम, 1975 की प्रस्तुति पर सी. ई. ओ. द्वारा कहा गया संविधान, दस्तावेजों को पंजीकृत करें

तुरंत और एक रिपोर्ट के माध्यम से अनुपालन की रिपोर्ट करें

चार सप्ताह के भीतर सर्वोच्च न्यायालय के महासचिव;

2. बी. सी. सी. आई. के उक्त संविधान के पंजीकरण पर, प्रत्येक

सदस्य अपना पंजीकरण कराएंगे।

एक अवधि के भीतर समान तर्ज पर संबंधित संविधान

30 कुछ दिन बाद। एक अनुपालन प्रमाण पत्र होना चाहिए

सी. ओ. ए. को प्रस्तुत किया गया, जो इससे पहले स्थिति रिपोर्ट दाखिल करेगा।

अनुपालन के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय

राज्य संघों द्वारा किया गया; और

3. यदि कोई राज्य संघ ऐसा कार्य नहीं करता है

उपर्युक्त निर्देशों, निर्देशों का अनुपालन

7 अक्टूबर को उच्चतम न्यायालय के आदेशों में निहित

2016 और 21 अक्टूबर 2016 पुनर्जीवित होगा। [पारस 37-40]

[558 - बी, एफ; 559-ई-एच; 560-ए-बी]

1.9 सी. ओ. ए. को इसके लिए आगे की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता है।

भविष्य के निर्देश जो आवश्यक हों और अनुपालन को सुरक्षित करने के लिए। [पैरा 41] [560-सी]

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बनाम क्रिकेट

बिहार संघ (2015) 3 एस. सी. सी. 251: [2015] 1 एससीआर

165 - संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

[2015] 1 एससीआर 165

पै

रा 1

भारत में क्रिकेट के लिए नियंत्रण बोर्ड v. बिहार का क्रिकेट संघ

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं. 4235

2014 से। 2013 की जनहित याचिका संख्या 55 में बॉम्बे में उच्च न्यायालय के दिनांकित 30.07.2013 के निर्णय और आदेश से

के साथ

2014 की सिविल अपील Nos.4236,2015 की सिविल अपील No.1155,2017 की रिट याचिका (सिविल) No.46,2014 की सिविल अपील संख्या 4235 में 2017 की अवमानना याचिका (सिविल) No.47,2017 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 287,2015 की सिविल अपील No.1155 में 2017 की अवमानना याचिका (सिविल) संख्या 959,2014 की सिविल अपील संख्या 4235 में 2017 की अवमानना याचिका (सिविल) संख्या 1835।

तुषार मेहता, एएसजी, गोपाल सुब्रमण्यम (एसी), पराग त्रिपाठी,

चंद्र उदय सिंह, रंजीत कुमार, गोपाल जैन, पी. आर. रमन, अजीत कुमार सिन्हा, के. वी. विश्वनाथन, पुनीत बाली, पी. आर. रमन, रवींद्र श्रीवास्तव, संजीव सेन, राणा मुखर्जी, एस. गुरुकृष्ण कुमार, वरिष्ठ अधिवक्ता। , अंकुर कश्यप, विवेक राजा, सुश्री गौरी रसगोत्रा, इंद्रनील देशमुख, आदर्श सक्सेना, रौणक ढिल्लों, विकास कुमार झा, ऋषि गौतम, कुणाल बहरी, ऋषभ कपूर, सिद्धांत शर्मा (मेसर्स के लिए)। सिरिल अमरचंद मंगलदास), सेंथिल जगदीशन, अमोल चिताले, निर्निमेश दुबे, अभिषेक सिंह, गगन गुप्ता, रजत सहगल, विकास मेहता, सुश्री वंदना आनंद,

चंद्रशेखर वर्मा, मिथुन, पाई अमित, वेंकिता सुब्रमण्यम टी. आर., राहत बंसल, अनीश आर. शाह, सुश्री पंखुड़ी भारद्वाज, नीतेश रंजन, एम. पी. विनोद, यदुनंदन बंसल, रीपक कंसल, प्रतीक आर. बॉम्बार्डे, रउफ रहीम, के. के. मोहन, अजय वीर सिंह जैन, श्रीमती ममता जैन, उदय राम बोकाडिया, राकेश कुमार खरे, सुश्री दिव्या गर्ग, सोनल जैन, रंजीत के. सी., अभिलाष के. एन., वी. के. बीजू, सिद्धार्थ गर्ग, स्नेहाशीष मुखर्जी, आर. बालासुब्रमण्यम, प्रभास बजाज, सुश्री आरती शर्मा, अक्षय अमृत। कुमार मारोरिया, सुश्री मंजू शर्मा, रागेंथ बसंत, सुश्री लिज़ मैथ्यू, अश्विन शंकर, सुश्री नीला गोखले, सुश्री कामाक्षी एस. मेहलवाल, के. के. मोहन, गौरव शर्मा, गगन गुप्ता, ई. सी. अग्रवाल, राहुल मेहता, सुश्री नेहा सांगवान, सुश्री संजना नांगिया, पराग एम. श्रॉफ, अजीम एच. लस्कर, बिकाश कर गुप्ता, सचिन दास, चंद्र भूषण प्रसाद, श्रीमती बीना गुप्ता, बालाजी श्रीनिवासन, अभिषेक भारती, सुश्री वैष्णवी [2018] 9 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सुश्री तमाली वाड, राहुल प्रताप, एम. योगेश कन्ना, सुश्री सुजाता बागड़ी, मेसर्स. सिरिल अमरचंद मंगलदास, श्रीकांत एन. तेरदल, केशव मोहन, पीयूष चौधरी, गौरव केजरीवाल, हृषिकेश बरुआ, हेमेन्ट फालफेर, सुधीर मिश्रा, श्रीधर पोटाराजू, सुश्री पी. चंदोक, प्रभात कुमार, सुश्री अंकिता शर्मा, गाइचांगपोउ गंगमेई, सुश्री अरुणा माथुर, अवनीश अर्पुथम, सुश्री अनुराधा अर्पुथम (मेसर्स के लिए)। अर्पुथम अरुणा एंड कंपनी), अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे. 1. इसका उच्चारण करते हुए

18 जुलाई 2016 को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बनाम

क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार ', इस न्यायालय ने न्यायमूर्ति आर. एम. लोढ़ा 2 की अध्यक्षता में एक समिति द्वारा प्रस्तावित क्रिकेट के प्रशासन में सुधारों को स्वीकार कर लिया। पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी गई है। 2 जनवरी 2017 को, इस अदालत ने निर्देश दिया कि प्रशासकों की एक समिति 3 अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी के माध्यम से बी. सी. सी. आई. के प्रशासन की निगरानी करेगी। सी. ओ. ए. का गठन 17 जनवरी 2017 को किया गया था। 24 जुलाई 2017 को, इस न्यायालय ने निर्देश दिया कि कुछ बकाया मुद्दों को छोड़कर, जिनकी पहचान की गई थी, लोढ़ा समिति की सिफारिशों को लागू किया जाना चाहिए:

" ..... (ग) सभी संबंधित आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे।

न्यायमूर्ति लोढ़ा समिति की रिपोर्ट जहां तक संभव हो,

जिन मुद्दों को उठाया गया है

सदस्यता, चयन के सदस्यों की संख्या समिति, सहयोगी सदस्यता की अवधारणा, आदि। द.

उद्देश्य यह है कि रिपोर्ट को यथासंभव लागू किया जाए।

और, इसके बाद, इस बात पर बहस की जाएगी कि चीजों की योजना कैसे है

माना जा सकता है ताकि क्रिकेट, 'सज्जनों का खेल',

लगभग परिपूर्ण रहता है। यह ध्यान दिया जाए कि इस संबंध में मुद्दा

प्रतिनिधि की अयोग्यता या योग्यता को खुला रखा जाता है।

(जोर दिया गया)

1 (2015) 3 एस. सी. सी. 251 2 ए. इस निर्णय में लोढ़ा समिति 3 को भारत में क्रिकेट के लिए नियंत्रण के सी. ओ. ए. बोर्ड के रूप में संक्षिप्त किया गया है।

क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार [डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.]

23 अगस्त 2017 को सी. ओ. ए. को 18 जुलाई 2016 को दिए गए फैसले के अनुसार संविधान का मसौदा तैयार करने का काम सौंपा गया था।

और 24 जुलाई 2017 का आदेश। इस न्यायालय द्वारा हितधारकों की चिंताओं पर विचार करने के लिए यह सुनिश्चित करने के लिए तौर-तरीके विकसित किए गए थे कि संविधान का मसौदा सभी वकीलों के बीच विधिवत प्रसारित किया जाए ताकि उनके सुझावों का मूल्यांकन किया जा सके। इस न्यायालय ने टिप्पणी की:

" हम प्रशासकों की समिति को मुख्य निर्णय के साथ-साथ 24 जुलाई, 2017 के आदेश के संदर्भ में संविधान का मसौदा तैयार करने का निर्देश देते हैं। संविधान के मसौदे की एक प्रति प्रत्यर्थियों के लिए विद्वान वकील की सहायता करने वाले अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड को सौंपी जाएगी। संविधान के मसौदे की एक प्रति श्री रंजीत कुमार की सहायता करने वाले विद्वान वकील श्री बी. के. प्रसाद को भी सौंपी जाए। संविधान के मसौदे के लिए कोई सुझाव, यदि कोई हो, विद्वान न्यायमित्र और श्री पराग पी. त्रिपाठी की सहायता करने वाले विद्वान वकील को सौंपा जाए ताकि वे एक चार्ट तैयार कर सकें और अपने सुझाव देने की स्थिति में हों।

टिप्पणियाँ करें।

सुनवाई की अगली तारीख को, 24 जुलाई, 2017 के आदेश में उल्लिखित तीन पहलुओं के अलावा, कोई भी पहलू जिसे एसोसिएशन द्वारा उठाया जाना चाहिए। उठाया जा सकता है। लेकिन, यह प्रभावित करने वाली बात है कि सुझाव में स्वीकार्य पवित्रता होनी चाहिए। इसे आपत्ति उठाने के लिए नहीं उठाया जाना चाहिए। (जोर दिया गया)

2. 21 सितंबर 2017 को, सी. ओ. ए. ने एक शिकायत की कि इस तथ्य के अलावा कि कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ था, एक ठोस

बी. सी. सी. आई. के पदाधिकारियों द्वारा अदालत के फैसले का पालन नहीं करने का प्रयास किया गया था। इसलिए, 21 सितंबर 2017 को, न्यायालय ने उपरोक्त प्रस्तुति को दर्ज करते हुए संविधान के मसौदे के लिए सुझाव प्राप्त करने का एक और अवसर दिया:

" सुनवाई के दौरान, यह श्री पराग पी. त्रिपाठी द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जो समिति की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील हैं।

प्रशासकों को कि हालांकि एक मसौदा संविधान सौंपा गया था

B.C.C.I के पदाधिकारियों को और सभी को भी। संबंधित, कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है और इस न्यायालय के फैसले का पालन नहीं करने के लिए B.C.C.I के पदाधिकारियों द्वारा एक ठोस प्रयास अपनाया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

हम जल्दबाजी में यह जोड़ सकते हैं कि 24 जुलाई, 2017 के हमारे पिछले आदेश में हमने स्पष्ट रूप से संकेत दिया है कि तीन से चार पहलू

सुझाव देते हैं। यदि उपरोक्त तीन पदाधिकारी इस न्यायालय के फैसले के अनुसार सुझाव नहीं देते हैं, जिसने न्यायमूर्ति लोढ़ा समिति की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है, तो उन्हें गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ेगा। संविधान के मसौदे में शामिल होंगे - न्यायमूर्ति लोढ़ा समिति द्वारा दिए गए सुझाव

पूर्णतया ताकि एक समग्र दस्तावेज इस न्यायालय के समक्ष आए। दस्तावेज़ को अदालत के समक्ष रखे जाने के बाद, रेलवे के दावे। विश्वविद्यालय और सेवाएँ और अन्य क्रिकेट संघ, जिनका विचार है कि क्रिकेट के खेल में उनके योगदान को ध्यान में रखते हुए 'एक राज्य एक वोट' की अवधारणा लागू नहीं होनी चाहिए, उन पर विचार किया जाएगा। सुझाव तीन सप्ताह के भीतर दिए जाएंगे। प्रारूपण के उद्देश्य से

सुझावों पर ध्यान देने के बाद, इस न्यायालय द्वारा अनुमोदन के उद्देश्य के लिए इसे अंतिम बनाने के लिए, आई. डी. 1 के पदाधिकारी आम सभा की बैठक नहीं करेंगे। (जोर दिया गया)

3. 27 अक्टूबर 2017 को सी. ओ. ए. ने बी. सी. सी. आई. और उसके पदाधिकारियों के लिए एक मसौदा संविधान दाखिल किया। से प्राप्त मसौदे के लिए सुझाव

राज्य क्रिकेट संघों और अन्य दलों को सी. ओ. ए. द्वारा प्रस्तावित सुझावों पर टिप्पणियों के साथ 12 जनवरी 2018 की स्थिति रिपोर्ट में दायर किया गया था। 1 मई 2018 को इस न्यायालय ने कहा कि

संविधान के मसौदे के लिए सुझाव दायर किए गए हैं और अदालत द्वारा उन्हें अंतिम रूप दिया जाएगा। निष्पक्षता के हित में, हालांकि यह देखा गया कि कोई भी और सुझाव जो एक राज्य क्रिकेट संघ के पास हो सकता है, उसे अभी भी न्यायमित्र को भेजा जा सकता है। तदनुसार, निम्नलिखित निर्देश जारी किए गए:

" B.C.C.I और इसके पदाधिकारियों के लिए संविधान का एक मसौदा 27.10.2017 पर दाखिल किया गया है। विभिन्न राज्य क्रिकेट संघों द्वारा भी इसके लिए सुझाव दायर किए गए हैं और इन्हें संविधान के मसौदे के साथ जोड़ा गया है। संविधान का मसौदा

इस न्यायालय द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा।

भारत में क्रिकेट के लिए नियंत्रण बोर्ड v. क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार [डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.]

यह न्यायालय तीन दिनों के भीतर। एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय द्वारा अनुमोदित संविधान के मसौदे पर बहस नहीं की जाएगी और इसे अंतिम रूप दिया जाएगा, केवल प्राथमिक निर्णय को वापस लेने के लिए आवेदनों में किए गए निर्धारण के अधीन, लंबित है।

इस न्यायालय के समक्ष निर्णय। इस मामले को 11.5.2018 पर सूचीबद्ध होने दें। (जोर दिया गया)

4. सी. ओ. ए., न्यायमित्र और राज्य क्रिकेट संघों और बी. सी. सी. आई. के पदाधिकारी सहित विभिन्न पक्षों की ओर से उपस्थित सभी विद्वान वकीलों द्वारा की गई इस व्यापक कवायद के बाद, सभी हितधारकों द्वारा दिए गए सुझावों को संकलित किया गया है और अदालत में प्रस्तुत किया गया है। न्यायमित्र ने सुझावों को संकलित करते हुए न्यायालय को सूचित किया कि उन्नीस राज्य क्रिकेट संघों,

संविधान जो उन सिद्धांतों को शामिल करता है जिन्हें लोढ़ा समिति (और इस न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई) द्वारा स्वीकार किया जाता है, साथ ही साथ कार्यान्वयन में कुछ हद तक व्यावहारिकता सुनिश्चित करता है। द. पहले की कार्यवाही में हुई कटुता ने सभी हितधारकों की ओर से पेश वकील द्वारा एक मजबूत सहयोग का मार्ग प्रशस्त किया है। सुझावों पर विचार करने से पहले, हमें इस न्यायालय के समक्ष सभी हितधारकों द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण की सराहना करनी चाहिए। प्रस्तुतियों को आगे बढ़ाने वाले सभी विद्वान वकीलों ने प्रारूप संविधान को अंतिम रूप देने के बकाया मुद्दे को निष्पक्षता की भावना के साथ हल करने का उचित प्रयास किया। सभी विद्वान वकीलों की व्यापक दलीलें सुनने के बाद 5 जुलाई 2018 को इस न्यायालय ने अभिलेख पर रखे गए मसौदे की सामग्री और विद्वान न्यायमित्र और वकील के सुझावों को ध्यान में रखते हुए संविधान के मसौदे को अंतिम रूप देने के प्रश्न पर आदेश सुरक्षित रख लिए।

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

5. मोटे तौर पर, जिन सुझावों को संविधान के मसौदे के रूप में प्राप्त किया गया है, उन्हें श्री गोपाल सुब्रमण्यम, एड एमिकस क्यूरी द्वारा निम्नलिखित शीर्षकों के तहत विभाजित किया गया है:

क) सदस्यता और सहयोगी सदस्यता से संबंधित मुद्दे; क) चयन समिति और उससे संबंधित सदस्यों की संख्या

मामले;

ख) शीतलन अवधि;

ग) अयोग्यताएँ;

(घ) शीर्ष परिषद का गठन;

ई) राज्य संघों पर लगाई गई शर्तें; च) पदाधिकारी और व्यावसायिक प्रबंधन की शक्तियाँ/कर्तव्य

(सीईओ);

छ) बी. सी. सी. आई. के कामकाज में कोई हस्तक्षेप नहीं; और ज) द्वारा जारी किए गए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों का बाध्यकारी मूल्य

माननीय न्यायमूर्ति लोढ़ा समिति।

हम उन मुद्दों की जांच करने का प्रस्ताव करते हैं जो इस दौरान उठाए गए हैं।

हमारी सुनवाई।

A. सदस्यता और सहयोगी से संबंधित मुद्दे

सदस्यता: एक राज्य-एक वोट

6. संविधान के मसौदे के नियम (3) (ए) (आई) में विचार किया गया है कि बी. सी. सी. आई. के स्वामित्व में (आई) पूर्ण सदस्य और (आई) एसोसिएट सदस्य शामिल होंगे। संविधान के मसौदे का पाठ इस प्रकार है:

" ((ii) पूर्ण सदस्य

ए. प्रत्येक राज्य का प्रतिनिधित्व बी. सी. सी. आई. द्वारा विधिवत मान्यता प्राप्त राज्य क्रिकेट संघ द्वारा किया जाएगा और ऐसे संघ होंगे -

पूर्ण सदस्य। किसी भी राज्य में एक से अधिक पूर्ण सदस्य नहीं होंगे।

किसी भी समय।

बी. वे संघ जो निम्नलिखित राज्यों में क्रिकेट के लिए नियंत्रण निकाय हैं, बी. सी. सी. आई. के पूर्ण सदस्य होंगे:

1 . आंध्र प्रदेश

2. अरुणाचल प्रदेश

3. भारत में क्रिकेट के लिए असम बोर्ड ऑफ कंट्रोल v.

के. ई. टी. एसोसिएशन ऑफ बिहार [डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.]

4 .

बिहार

छत्तीसगढ़

5 . 6 .

दिल्ली

7 .

गोवा

8 .

गुजरात

9 .

हरियाणा

हिमाचल प्रदेश

10 .

जम्मू और कश्मीर

11 .

झारखंड

12 .

कर्नाटक

13 .14 .

केरल

मध्य प्रदेश

15 .

16 .

महाराष्ट्र

17 .

मणिपुर

मेघालय

18 .19 .

मिजोरम

नगालैंड

20 .

उड़ीसा

21 .

पंजाब

22 . 23 .

राजस्थान

सिक्किम

24 .

तमिलनाडु

25 .

26 .

तेलंगाना

त्रिपुरा

27 .

उत्तर प्रदेश

28 .

उत्तराखंड

29 .

पश्चिम बंगाल

30 .ग. कई मौजूदा सदस्यों वाले राज्यों में, पूर्ण सदस्यता ऐसे मौजूदा सदस्यों के बीच सालाना बारी-बारी से होगी जैसे कि उनमें से केवल एक ही किसी भी समय पूर्ण सदस्य के अधिकारों और विशेषाधिकारों का प्रयोग करेगा। घूर्णन होगा

बी. सी. सी. आई. द्वारा बनाई गई नीति के अनुसार।

डी. जहां किसी विशेष राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए विधिवत मान्यता प्राप्त संघ के संबंध में विवाद लंबित हैं, वहां राज्य का प्रतिनिधित्व मान्यता प्राप्त संघ द्वारा किया जाएगा, जो न्यायालय के किसी आदेश या बी. सी. सी. आई. के संकल्प के अधीन होगा।

(iii) सहयोगी सदस्य A.
कोई भी मौजूदा सदस्य (एक मौजूदा सदस्य सहित जो

पूर्ण सदस्य के अधिकारों और विशेषाधिकारों का प्रयोग न करना उपरोक्त नियम 3 (1) (ii) सी) की शर्तें सहयोगी सदस्य होंगी।

बीसीसीआई की ओर से।

बी. बी. सी. सी. आई. किसी अन्य संस्था को एसोसिएट के रूप में शामिल कर सकता है।

सदस्य, नीचे दिए गए नियम 33 (बी) (बी) में निर्धारित सभी शर्तों और अयोग्यताओं के अधीन।

7. इसकी रिपोर्ट के अध्याय 1 में "द स्ट्रक्चर एंड

संविधान ", लोढ़ा समिति बी. सी. सी. आई. की सदस्यता से संबंधित थी। और इसकी संरचना में देखी गई विसंगतियाँ। समिति ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड जैसे कई राज्य,

छह पूर्वोत्तर राज्यों (त्रिपुरा को छोड़कर) और केंद्र शासित प्रदेशों (दिल्ली को छोड़कर) में बोर्ड में प्रतिनिधित्व की कमी है। दूसरी ओर, समिति ने महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों में विसंगति देखी।

प्रत्येक में तीन पूर्ण सदस्यताएँ। समिति ने कहा कि सेवा खेल नियंत्रण बोर्ड ("सेवा"), रेलवे खेल संवर्धन बोर्ड ("रेलवे") और भारतीय विश्वविद्यालय संघ ("विश्वविद्यालय") किसी निर्दिष्ट क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, लेकिन वे क्रिकेट के खेल में सक्रिय रूप से शामिल हैं, जबकि कोलकाता में राष्ट्रीय क्रिकेट क्लब और मुंबई में भारतीय क्रिकेट क्लब जैसे कुछ सदस्य इसका प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

कोई भी क्षेत्र। लोढ़ा समिति पूर्ण सदस्यता प्रदान करने के लिए एक निर्धारक कारक के रूप में क्षेत्रीयता पर निर्भर थी। रेलवे, सेवाओं और विश्वविद्यालयों को एक राज्य के क्षेत्र से नहीं जोड़ा गया था और उन्हें पूर्ण सदस्यता से वंचित कर दिया गया था। हालांकि गुजरात ने तीन क्रिकेट टीमों (गुजरात, सौराष्ट्र और बड़ौदा) को मैदान में उतारा और इसी तरह महाराष्ट्र (मुंबई, महाराष्ट्र और विदर्भ) में भी दोनों राज्यों की एक-एक पूर्ण सदस्यता होगी। लोढ़ा समिति ने सिफारिश की कि सहयोगी सदस्य का दर्जा उन सदस्यों को दिया जाना चाहिए जो किसी भी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

8. 18 जुलाई 2016 के इस न्यायालय के प्रमुख फैसले में एक राज्य-एक वोट के मानदंड को स्वीकार कर लिया गया था। ऐसा करते हुए यह न्यायालय इस प्रकार देखा गया:

“ 62. यह हमें इस सवाल पर लाता है कि क्या "एक राज्य एक" समिति द्वारा अनुशंसित "वोट" किसी भी समस्या से ग्रस्त है

इस न्यायालय के अस्वीकार करने के लिए पर्याप्त कानूनी या अन्य दुर्बलता एक ही। समिति द्वारा की गई सिफारिश में भारत में क्रिकेट के लिए नियंत्रण बोर्ड v है।

सी. के. ई. टी. एसोसिएशन ऑफ बिहार [डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.]

बी. सी. सी. आई. में वर्तमान स्थिति पर दो गुना प्रभाव। पहला कुछ संघों और क्लबों को बी. सी. सी. आई. की पूर्ण सदस्यता से घटाकर सहयोगी सदस्यों का दर्जा देना है। सिफारिश का दूसरा पहलू महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों से कम से कम चार मौजूदा पूर्ण सदस्यों की पूर्ण सदस्यता को घटाकर सहयोगी सदस्यों का दर्जा देना है।

63 ..... हम उस विवाद में कोई योग्यता नहीं देखते हैं और न ही हम कोई कारण देखते हैं।

समिति द्वारा की गई सिफारिश से असहमत होना,

जिसने सभी तथ्यों पर गहन विचार किया है और

बी. सी. सी. आई. के कामकाज के लिए प्रासंगिक परिस्थितियों ने बिना किसी क्षेत्र के क्लबों और संघों को पूर्ण सदस्यों से सहयोगी सदस्यों में बदलने की सिफारिश की। यह एक ऐसा उपाय है जिसकी संरचनात्मक दृष्टि से सिफारिश की गई है -

बी. सी. सी. आई. को और अधिक उत्तरदायी बनाने के लिए उसे सुव्यवस्थित करना और विभिन्न की आकांक्षा को ध्यान में रखते हुए जवाबदेह

देश में खेल के विकास और संवर्धन में भाग लेने के लिए एक समान अवसर के लिए क्षेत्र।

दो राज्य जो पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे। ऐसा होने पर, इसका एकमात्र उचित और तर्कसंगत जवाब है एक राज्य एक वोट के व्यापक सिद्धांत के भीतर समस्या

बी. सी. सी. आई. की पूर्ण सदस्यता को बदलने की अनुमति दी जाएगी। वार्षिक आधार पर तीन क्लबों के बीच।

(जोर दिया गया) 9. एक राज्य-एक वोट मानक और क्षेत्रीयता का सिद्धांत

विशिष्ट आपत्तियों को जन्म दिया। ऐतिहासिक रूप से राज्य में

राज्य में, तीन संघ रहे हैं, जिनमें से प्रत्येक ने रणजी ट्रॉफी में क्रिकेट टीम को मैदान में उतारा है: ((i) महाराष्ट्र; (ii) मुंबई (iii) विदर्भ। इसी तरह, गुजरात राज्य में, [2018] 9 एस. सी. आर. हुए हैं।

तीन संघ प्रतिनिधित्व करते हैं: (i) गुजरात; (ii) बड़ौदा; और (iii) सौराष्ट्र। दोनों राज्यों में, इन संघों ने देश के क्रिकेट इतिहास में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। रणजी ट्रॉफी के लिए क्षेत्ररक्षण करने वाली टीमों के अलावा, इन संघों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के खिलाड़ी तैयार किए हैं। न्यायमित्र ने महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में तीनों संघों को पूर्ण सदस्यता की अनुमति देने के लिए इस न्यायालय के समक्ष याचिका का जवाब दिया है। न्यायमित्र प्रस्तुत करता है कि इस न्यायालय के आदेश में आदेश दिया गया है कि महाराष्ट्र और गुजरात के घटक सदस्यों का वार्षिक आवर्तन होना चाहिए ताकि हर वर्ष,

वर्ष, पहला सदस्य संघ जिसने पहले ही मतदान कर दिया है, उसे तीन साल के अंत में मतदान करने में सक्षम नहीं होना चाहिए, लेकिन इसे पारित करना होगा बारी-बारी से अगला संगठन। इस तरह, यह सुझाव दिया गया है कि दोनों राज्यों के तीनों घटक सहयोगियों को न केवल आम निकाय के मामलों में भाग लेने का उचित अवसर मिलेगा, बल्कि उन्हें तीन साल के अंत में मतदान करने का अवसर भी मिलेगा। न्यायमित्र के विचार में, महाराष्ट्र और गुजरात के लिए एक आवर्तन नीति विशिष्ट रूप से व्यवहार्य है और मुख्य निर्णय का अधिदेश समानता और निष्पक्षता लाता है ताकि कोई भी घटक सदस्य इस नियम से बाहर न रहे।

जनरल

एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए निकाय। हालांकि, यह नहीं बताया गया है कि एक बार पूर्ण सदस्यता दिए जाने के बाद, आवर्तन नीति अपनाने के लिए कौन से कानूनी सिद्धांत लागू किए जा सकते हैं। न्यायमित्र ने महाराष्ट्र और गुजरात से संबंधित इतिहास की परिस्थितियों को स्वीकार करते हुए कहा कि लोढ़ा समिति की सिफारिशें, जिन्हें मुख्य निर्णय में स्वीकार किया गया है, प्रबंधन की संरचना में एकरूपता और कुछ मात्रा में घरेलू समानता लाने का प्रयास करती हैं। हालाँकि, उनका सुझाव है कि अनुदान जारी करना और ऐसी अन्य आवश्यकताएँ जो घटकों के लिए आवश्यक हो सकती हैं, सी. ओ. ए. और नियमित रूप से निर्वाचित शीर्ष परिषद द्वारा उपयुक्त रूप से संबोधित की जानी चाहिए।

10. हमारा विचार है कि पूर्ण रूप से बहाल करना आवश्यक है।

बी. सी. सी. आई. के संविधान में महाराष्ट्र राज्य (महाराष्ट्र, मुंबई और विदर्भ) और गुजरात (गुजरात, बड़ौदा और सौराष्ट्र) में तीन-तीन संघों की सदस्यता। सुनवाई के दौरान, लिखित प्रस्तुतियों को रिकॉर्ड में रखा गया है जिसमें बड़ौदा, सौराष्ट्र, मुंबई और विदर्भ के योगदान का उल्लेख किया गया है। हमें उन्हें यहाँ निकालने की आवश्यकता है:

भारत में क्रिकेट के लिए नियंत्रण बोर्ड v.

सी. के. ई. टी. एसोसिएशन ऑफ बिहार [डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.]

" बड़ौदा क्रिकेट संगठन

बड़ौदा शहर में क्रिकेट की शुरुआत 1934 में बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ द्वारा की गई थी और मोती बाग स्टेडियम बड़ौदा क्रिकेट का घर था। तब से बड़ौदा वर्ष में 5 बार रणजी ट्रॉफी चैंपियन के रूप में उभरा है 1942-43,1946-47,1949-50,1957-58 और 2000-01।

बड़ौदा ने अतीत में विजय हजारे, गोगुमल किशनचंद, जयसिंहराव घोरपड़े, दीपक शोधन और वर्तमान पीढ़ी में दत्ता गायकवाड़, चंदू बोर्डे, किरण मोरे, अंशुमन गायकवाड़ जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई प्रसिद्ध क्रिकेटर पैदा किए थे। जितेंद्र पटेल। बाद की फसल के बीच, इरफान पठान, यूसुफ पठान, जहीर खान और मुनाफ पटेल इस संगठन के लिए खेल चुके हैं।

" मुंबई क्रिकेट संघ

वर्ष 1928 में, 'बॉम्बे प्रेसीडेंसी (प्रोपर) क्रिकेट एसोसिएशन' का गठन किया गया था, जिसकी भौगोलिक सीमाएं उत्तर में सिंध से लेकर कर्नाटक (मैसूर राज्य को छोड़कर) तक फैली हुई थीं।

क्रिकेट संघ क्षेत्रीय सीमाओं से अलग हो गया बॉम्बे प्रेसीडेंसी (उचित) क्रिकेट एसोसिएशन। वर्तमान मुंबई क्रिकेट संघ या एम. सी. ए. शासी निकाय है।

मुंबई और उसके आसपास के क्षेत्रों जैसे ठाणे और नवी मुंबई में क्रिकेट के लिए। मुंबई क्रिकेट टीम रणजी ट्रॉफी में मुंबई क्रिकेट संघ की टीम है। टीम ने 41 से अधिक खिताब जीते हैं, जिनमें से सबसे हालिया 2015-16 में है। यह रणजी ट्रॉफी के फाइनल में भी कुल 4 बार उपविजेता रहा है। संघ वानखेड़े स्टेडियम का मालिक है।

एम. सी. ए. द्वारा निर्मित अन्य प्रसिद्ध क्रिकेटरों में अबे कुरुविला, अजिंक्य रहाणे, अजीत वाडेकर, अशोक मांकड़, चंदू बोर्डे, दिलीप सरदेसाई, दिलीप वेंगसरकर, एकनाथ सोलकर, फारुख इंजीनियर, जतिन परांजपे, पॉली उमरीगर, रवि शास्त्री, रोहित शर्मा, रुस्तमजी जमशेदजी, रूसी मोदी, सचिन तेंदुलकर शामिल हैं। संदीप पाटिल, संजय मांजरेकर, सुनील गावस्कर, विजय मांजरेकर, विजय मर्चेंट, विनोद कांबली, वसीम जाफर आदि।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" सौराष्ट्र क्रिकेट संगठन

सौराष्ट्र गुजरात में स्थित तीन क्रिकेट टीमों में से एक है जो रणजी ट्रॉफी में प्रतिस्पर्धा करती है (अन्य बड़ौदा और गुजरात हैं)। पहले इसे नवानगर क्रिकेट टीम के नाम से जाना जाता था। ऐतिहासिक हलार में नवानगर एक भारतीय रियासत थी। यह क्षेत्र कच्छ की खाड़ी के दक्षिणी तट पर स्थित है। रणजीतसिंहजी, जिन्हें अक्सर 'रणजी' के नाम से जाना जाता है, 1907 से 1933 तक महाराजा जाम साहब के रूप में भारतीय रियासत नवानगर के शासक थे, और एक प्रसिद्ध टेस्ट क्रिकेटर थे जो अंग्रेजी क्रिकेट टीम के लिए खेले थे। उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के लिए प्रथम श्रेणी क्रिकेट और ससेक्स के लिए काउंटी क्रिकेट भी खेला।

रणजी को व्यापक रूप से सर्वकालिक महान बल्लेबाजों में से एक माना जाता है। 1934 में बी. सी. सी. आई. ने "राजकुमारों और रियासतों" के बीच एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता शुरू की और इसका नाम उस समय के महानतम भारतीय खिलाड़ी के. एस. रंजीतसिंहजी के नाम पर रखा गया।

सौराष्ट्र ने 1936-37 में रणजी ट्रॉफी जीती और 1937-38 के अगले सत्र में भी उपविजेता रहे। वे रणजी ट्रॉफी (प्लेट) में 1937-38,2012-13 और 2015-16 में उपविजेता रहे हैं। चेतेश्वर पूजारा, रवींद्र जडेजा और जयदेव उनादकट प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी हैं।

विदर्भ क्रिकेट संघ महाराष्ट्र राज्य के विदर्भ क्षेत्र और विदर्भ क्रिकेट टीम में क्रिकेट गतिविधियों का शासी निकाय है। विदर्भ ने पहली बार 1957-58 के सत्र में प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेला, जो तब तक अन्य मध्य क्षेत्र की टीमों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा कर रहा था। 2001-2002 , जिसके बाद रणजी ट्रॉफी अब क्षेत्रीय आधार पर नहीं लड़ी गई। विदर्भ का सर्वश्रेष्ठ मौसम 1970-71 और 1995 96 था, जब यह रणजी ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल में पहुंचा और 2002-03 और 2011-12, जब यह प्लेट समूह के सेमीफाइनल में पहुंचा, विदर्भ ने 250 से अधिक प्रथम श्रेणी मैच खेले हैं।

उमेश यादव विदर्भ क्रिकेट टीम के सदस्य हैं।

विदर्भ ने 2017-2018 सत्र में रणजी ट्रॉफी और ईरानी ट्रॉफी जीती। भारत में क्रिकेट के लिए नियंत्रण बोर्ड v.

क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार [डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.]

इन संघों का पालन-पोषण का एक लंबा और स्थायी इतिहास रहा है।

भारत में क्रिकेट खेल के लिए प्रतिभा। भारत में क्रिकेट का इतिहास क्रिकेट के क्षेत्र में उनके योगदान से भरा हुआ है। इन संघों ने ऐसे खिलाड़ी पैदा किए हैं जिन्होंने अपने राज्यों और देश का नाम रोशन किया है। क्षेत्रीयता के सिद्धांत के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को खंड 3 (ए) (ii-B) में सुझाए गए संदर्भों के अनुसार बी. सी. सी. आई. की पूर्ण सदस्यता होनी चाहिए। यह समावेशन का सिद्धांत बन जाता है। बहिष्करण के आधार के रूप में क्षेत्रीयता का उपयोग करना समस्याग्रस्त है क्योंकि यह अनदेखा करता है।

क्रिकेट के विकास और इसकी लोकप्रियता में उपरोक्त संघों का इतिहास और योगदान। महाराष्ट्र राज्य में मुंबई और विदर्भ और गुजरात राज्य में बड़ौदा और सौराष्ट्र द्वारा क्रिकेट के खेल में किए गए योगदान को ध्यान में रखते हुए, उन्हें बी. सी. सी. आई. की पूर्ण सदस्यता भी प्रदान करना उचित होगा। हालाँकि, हम का दर्जा नहीं देने के निर्णय को बनाए रखते हैं राष्ट्रीय क्रिकेट क्लब और भारतीय क्रिकेट क्लब के पूर्ण सदस्य। रणजी ट्रॉफी में दोनों क्लबों में से कोई भी टीम मैदान में नहीं उतरती है। उन्हें अन्य राज्य संघों के बराबर नहीं रखा जा सकता है।

रेलवे

11. भारतीय क्रिकेट के लिए रेलवे का योगदान उल्लेखनीय है। न्यायालय के समक्ष यह इंगित किया गया है कि:

" रेल खेल संवर्धन बोर्ड

रेलवे खेल संवर्धन बोर्ड (आर. एस. पी. बी.) भारतीय रेलवे द्वारा संचालित एक खेल बोर्ड है। यह 29 खेल विषयों को बढ़ावा देता है और

वे नई दिल्ली में करनैल सिंह स्टेडियम के मालिक हैं।

आर. एस. पी. बी. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का सदस्य है और आर. एस. पी. बी. भारत में घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिताओं जैसे रणजी ट्रॉफी में रेलवे की क्रिकेट टीम को मैदान में उतारता है। 2000 के बाद से हाल के वर्षों में, रेलवे ने दो बार ट्रॉफी जीती है और उपविजेता भी बना है। रणजी ट्रॉफी के चैंपियन के रूप में, वे दो बार ईरानी ट्रॉफी खेल चुके हैं, दोनों में विजयी हुए हैं।

मौकों पर।

प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटरों में महेंद्र सिंह धोनी (दक्षिण पूर्व रेलवे के लिए खेले और ट्रेन टिकट परीक्षक के रूप में कार्यरत थे), मुरली कार्तिक, संजय बांगड़, कर्ण शर्मा शामिल हैं। हाल ही में संपन्न आईसीसी महिला विश्व कप 2017 में, भारतीय [2018] 9 एस. सी. आर.

महिला टीम टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची जहां भारत के लिए खेलने वाली 15 महिला क्रिकेटरों में से 10 कर्मचारी हैं

भारतीय रेलवे। वास्तव में डायना फ्रामएदुलजी (एक

सी. ओ. ए.) के सदस्यों ने भी रेलवे का प्रतिनिधित्व किया है।

12. रेलवे को पूर्ण सदस्यता देने का सुझाव देते हुए न्यायमित्र ने कुछ प्रासंगिक टिप्पणियां की हैं जिन्हें पुनः प्रस्तुत किया गया है नीचेः

" रेलवे महिला क्रिकेट टीम के कम से कम 90 प्रतिशत सदस्यों को मैदान में उतारता है, यानी जो राष्ट्रीय टीम में भारत के लिए खेलते हैं। इसलिए एक सवाल उठता है कि क्या रेलवे को पूर्ण सदस्यता दी जानी चाहिए। रेलवे के खिलाड़ियों के रोजगार की सुरक्षा के साथ-साथ खेल कौशल का प्रदर्शन करने की क्षमता और महिला क्रिकेट को भारतीय क्रिकेट का एक अभिन्न अंग मानते हुए, इसे एक अपवाद के रूप में मानना आवश्यक प्रतीत होता है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए ही रेलवे की पूर्ण सदस्यता की सिफारिश की जा सकती है। न्यायमित्र की राय है कि यह एक अपवाद के रूप में माने जाने के योग्य है।

13. संविधान के मसौदे में प्रस्तावित संशोधन निम्नलिखित शर्तों में हैः

" ई. इस नियम 3 (ए) (ii) में ऊपर कुछ भी निहित होने के बावजूद, भारतीय रेलवे का एक प्रतिनिधि हकदार होगा।

बी. सी. सी. आई. की आम सभा की बैठकों में मतदान करना। हालाँकि, ऐसा प्रतिनिधि भारतीय रेलवे का एक पूर्व क्रिकेटर होगा जिसे भारतीय रेलवे के पूर्व खिलाड़ियों के संघ द्वारा चुना जाता है।

भारतीय रेलवे और द्वारा नामित व्यक्ति नहीं

सरकार/रेलवे खेल संवर्धन बोर्ड "।

14. हम न्यायमित्र द्वारा प्रस्तावित संशोधन को स्वीकार करते हैं। हम विशेष रूप से स्पष्ट करते हैं कि रेलवे के प्रतिनिधि जो अभ्यास करेंगे

मतदान की शक्ति एक पूर्व क्रिकेटर होनी चाहिए जिसने भारतीय रेलवे का प्रतिनिधित्व किया हो और जिसे भारतीय रेलवे के पूर्व खिलाड़ियों के संघ द्वारा चुना गया हो, न कि सरकार या रेलवे खेल संवर्धन बोर्ड द्वारा नामित व्यक्ति।

भारतीय विश्वविद्यालयों की सेवाएँ और संगठन

15. न्यायमित्र ने सेवाओं और भारतीय विश्वविद्यालय संघ को पूर्ण सदस्यता देने का सुझाव नहीं दिया है।

सेवाओं के लिए, उन्होंने भारत में क्रिकेट के लिए नियंत्रण बोर्ड v. क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार [डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.]

प्रस्तुत करता है कि पर्याप्त सामग्री उपलब्ध नहीं है और सरकारी नियंत्रण से इन्सुलेशन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, 'जैसा कि वर्तमान में सलाह दी गई है', पूर्ण सदस्यता का दर्जा देने की सिफारिश करना संभव नहीं है। जहां तक भारतीय विश्वविद्यालय संघ का संबंध है, यह प्रस्तुत किया गया है कि चूंकि वे रणजी ट्रॉफी के लिए एक टीम नहीं उतारते हैं, इसलिए पूर्ण सदस्यता का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए।

भारतीय क्रिकेट के लिए सेवा दल के योगदान पर, हम निम्नलिखित पर ध्यान देते हैं:

" सेवा खेल नियंत्रण बोर्ड
सेवा खेल नियंत्रण (एस. एस. सी. बी.) का उद्देश्य सेवा खिलाड़ियों का चयन करने और उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए अंतर सेवा खेल चैंपियनशिप आयोजित करना है। बोर्ड को शुरू में सेना खेल नियंत्रण बोर्ड के रूप में जाना जाता था और इसकी स्थापना 1919 में की गई थी। स्वतंत्रता के बाद, यह था

सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के रूप में पुनर्नामित और तीनों सेवाएँ संगठन को बारी-बारी से चला रही हैं। सर्विसेज क्रिकेट टीम भारत में प्रमुख घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता रणजी ट्रॉफी में खेलती है। एस. एस. सी. बी. के तत्वावधान में खिलाड़ी भारतीय सशस्त्र सेवाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे पहली बार रणजी
ट्रॉफी में 1949-50 में खेले। उन्होंने रणजी ट्रॉफी में लगभग 320 मैच खेले हैं।

इसी तरह भारतीय विश्वविद्यालय संघ के संबंध में, हम नोट कर सकते हैं कि:

" सभी भारतीय विश्वविद्यालय

कई भारतीय विश्वविद्यालयों के खिलाड़ियों ने टेस्ट क्रिकेट खेला। उदाहरण के लिए, 1949-50 में पहली तरफ से, नाना जोशी, पंकज रॉय, पॉली उमरीगर, गुलाबराई रामचंद, दीपक शोधन और सुभाष गुप्ते ने भारत के लिए टेस्ट खेले। आईडी1 टीम के तीन खिलाड़ियों अशोक गंडोत्रा, मोहिंदर अमरनाथ और बुधीकुंडेरन ने टेस्ट क्रिकेट खेला। इसके बाद सुनील गावस्कर, केनिया जयंतीलाल, सुरिंदर।

अमरनाथ और दिलीप दोशी ने भी टेस्ट क्रिकेट खेला।

16. सेवा दल राष्ट्र के सशस्त्र बलों का प्रतिनिधित्व करता है। सेवाओं का भारतीय खेलों के साथ जुड़ाव का एक लंबा इतिहास रहा है।

सामान्य और क्रिकेट के साथ भी। खेल और क्रिकेट के प्रचार में सेना, नौसेना और वायु सेना सहित सेनाओं के पूर्व-प्रतिष्ठित पद को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है [2018] 9 एस. सी. आर.

कि रेलवे के मामले में हमने जिस सिद्धांत का पालन किया है, उसी सिद्धांत का उनके मामले में पालन किया जाना चाहिए। इसी तरह, विश्वविद्यालय देश में कॉलेज जाने वाली पीढ़ी के खिलाड़ियों के बीच क्रिकेट के खेल को प्रोत्साहित करने के लिए एक केंद्र हैं। इसलिए हम भारतीय विश्वविद्यालय संघ को भी पूर्ण सदस्यता प्रदान करेंगे। रेलवे के मामले में न्यायमित्र द्वारा संविधान के मसौदे में प्रस्तावित संशोधन को सेवाओं और भारतीय विश्वविद्यालयों के संघ को भी शामिल करने के लिए उपयुक्त रूप से संशोधित किया जाएगा। के लिए क्रमशः प्रतिनिधि

सर्विसेज और भारतीय विश्वविद्यालय संघ एक पूर्व क्रिकेटर होगा जो क्रमशः उनके लिए खेला है और पूर्व खिलाड़ियों के संघ द्वारा चुना जाता है न कि सरकार/खेल नियंत्रण बोर्ड द्वारा नामित व्यक्ति द्वारा।

B. चयनकर्ताओं की संख्या

17. लोढ़ा समिति ने चयनकर्ताओं की संख्या तीन तक सीमित कर दी। ऐसा करते समय, यह राय दी गई कि एक क्रिकेट प्रतिभा समिति के गठन के साथ, तीन सदस्यीय चयन समिति अधिक ठोस होगी, चयन समिति के अधिकार को बढ़ाएगी और इसे टीम के प्रदर्शन के लिए जवाबदेह बनाएगी।

18. चयन समिति को जिम्मेदारी सौंपी गई है

विभिन्न स्तरों पर भागीदारी के लिए क्रिकेट टीमों का चयन करना। इसके लिए पुरुषों की टीमों में दो समितियाँ होती हैं जो खेल के विभिन्न प्रारूपों में टूर्नामेंट के लिए टीमों के चयन की देखभाल करती हैं। ये हैं:

" अखिल भारतीय वरिष्ठ चयन समितिः

अंतर्राष्ट्रीय मैच-टेस्ट मैच, एकदिवसीय मैच और टी20

मैच

भारत 'ए' टीमें-घरेलू और विदेशी दोनों श्रृंखलाओं के लिए

प्रेसीडेंट इलेवन/बी. सी. सी. आई. इलेवन दौरा करने वाली अंतरराष्ट्रीय टीमों के साथ खेलेगी

II अखिल भारतीय कनिष्ठ चयन समितिः

अंडर-19 क्रिकेट

अंडर-16 क्रिकेट "

19. बीस-आठ टीमों के साथ, भारत के पास दुनिया में सबसे अधिक प्रथम श्रेणी टीमों की संख्या बताई जाती है।

सीनियर चयनकर्ता भारत बनाम में क्रिकेट के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल पर नजर रखते हैं। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार [डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.]

घरेलू क्रिकेट सत्र के दौरान कई टूर्नामेंट,

हर साल अगस्त से अप्रैल तक। ये हैं:

" 1.रणजी ट्रॉफी लीग मैच

2. रणजी ट्रॉफी नॉक आउट मैच

3. विजय हजारे लीग मैच

4. विजय हजारे ने नॉकआउट मैच खेले

5. मुस्ताक अली लीग मैच

6. मुस्ताक अली ने नॉक आउट किए मैच

7. ईरानी ट्रॉफी

8. दलीप ट्रॉफी

9. देवधर ट्रॉफी "।

20. घरेलू क्रिकेट के अलावा, वरिष्ठ चयनकर्ता भारत-ए टीम के मैचों और घरेलू और विदेशी स्तर पर विभिन्न प्रारूपों के मैचों को भी देखते हैं। राष्ट्रीय टीमों को आई. सी. सी. कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न प्रारूपों में चुना जाना आवश्यक है। वरिष्ठ चयनकर्ता भी टीम प्रबंधन का हिस्सा होते हैं जो 'प्लेइंग इलेवन' का चयन करता है।

मैच से एक दिन पहले भारतीय टीम। औसतन, यह कहा गया है कि एक वरिष्ठ चयनकर्ता वर्ष में लगभग 280 दिनों तक यात्रा करता है।

जिनका घरेलू क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड रहा है, वे अंतरराष्ट्रीय मैचों में देश का प्रतिनिधित्व करने में असमर्थ हैं। यह प्रस्तुत किया गया है न्यायालय के समक्ष कि घरेलू स्तर पर क्रिकेटरों को प्रेरित करना आवश्यक है। इसलिए, जिन क्रिकेटरों ने अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व नहीं किया है, उन्हें चयन समिति का हिस्सा बनने से पूरी तरह से बाहर नहीं किया जाना चाहिए।

21. हमें उन कारणों के बारे में समझाया गया है जो [2018] 9 एस. सी. आर. पर चयनकर्ताओं की संख्या बढ़ाने के लिए अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं।

तीन से पाँच तक चयन समिति। लोढ़ा समिति ने चयनकर्ताओं की संख्या को तीन तक सीमित करने की सिफारिश की थी, जिसका विशिष्ट उद्देश्य आकार की सघनता, निर्णय लेने का अधिकार और प्रदर्शन की निगरानी सुनिश्चित करना था। इन कारकों को वहन करते हुए

इस पर विचार करते हुए, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि एक व्यापक आधार वाली चयन समिति का उद्देश्य जो देश भर में प्रतिभा पूल के सावधानीपूर्वक मूल्यांकन की सुविधा प्रदान करता है, उसे प्राप्त किया जाए। देश का विशाल क्षेत्र, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर खेले जाने वाले क्रिकेट का विस्तार, चयनकर्ताओं को क्रिकेटरों के पूल से प्रतिभा का पता लगाने के लिए बड़े पैमाने पर यात्रा करने की आवश्यकता और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट, ऐसे विचार हैं जो हमें चयनकर्ताओं की संख्या को पाँच में बदलने के संबंध में संशोधन की याचिका को स्वीकार करने के लिए राजी करते हैं। 22. हम ध्यान दे सकते हैं कि न्यायमित्र ने इस सुझाव का भी समर्थन किया है कि चयनकर्ताओं की संख्या बढ़ाकर पांच की जाए। लेकिन वह भी

यह एक चयनकर्ता के मानदंड के अधीन होना चाहिए जिसने कम से कम (ए) सात टेस्ट मैच खेले हों; या (बी) तीस प्रथम श्रेणी मैच; या (सी) पचास ओवर के प्रारूप में दस एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय और कम से कम बीस प्रथम श्रेणी मैच खेले हों। तदनुसार हम निम्नलिखित में न्यायमित्र द्वारा सुझाए गए प्रस्तावित संशोधन को स्वीकार करते हैं।

शर्तें:

" खंड 26 (2) ए (आई)

" पुरुष चयन समिति टेस्ट, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में प्रतिनिधित्व के लिए वरिष्ठ राष्ट्रीय टीम का चयन करेगी। टी20 और कोई अन्य प्रारूप। यह समिति भी जिम्मेदार होगी।

संबंधित दल की मूल्यांकन रिपोर्ट प्रदान करने के लिए त्रैमासिक आधार पर शीर्ष परिषद के लिए प्रदर्शन "।

" खंड 26 (2) ए (ii)

पुरुष चयन समिति में पाँच व्यक्ति शामिल होंगे -

बी. सी. सी. आई. द्वारा वार्षिक आम बैठक में पहचाने गए प्रतिष्ठित पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटरों वाली एक क्रिकेट सलाहकार समिति द्वारा नियुक्त किया जाएगा, जो निम्नलिखित मानदंडों के अधीन है:

(क) पुरुष चयन समिति के प्रत्येक सदस्य को कम से कम खेलना चाहिए था

((i) सात टेस्ट मैच; या

((ii) तीस प्रथम श्रेणी के मैच; या भारत में क्रिकेट के लिए नियंत्रण बोर्ड v.

सी. के. ई. टी. एसोसिएशन ऑफ बिहार [डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.]

(iii) दस एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच और 21

क्लास मैच।

(ख) पुरुष चयन समिति के प्रत्येक सदस्य के पास होना चाहिए

कम से कम पाँच साल पहले खेल से सेवानिवृत्त हुए।

पुरुषों के चयन के सदस्यों में सबसे वरिष्ठ

समिति को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाएगा।

" खंड 26 (2) बी (आई)

जूनियर क्रिकेट समिति में पाँच व्यक्ति होंगे - बी. सी. सी. आई. द्वारा वार्षिक आम बैठक में नियुक्त, ऐसे नियमों और शर्तों पर जो शीर्ष परिषद द्वारा तय किए जा सकते हैं।

समय-समय पर। केवल पूर्व खिलाड़ी जिन्होंने कम से कम 25 प्रथम श्रेणी के खेल खेले हैं, वे इस समिति में नियुक्त होने के पात्र होंगे, बशर्ते कि वे कम से कम पांच साल पहले खेल से सेवानिवृत्त हो चुके हों। सदस्यों में सबसे वरिष्ठ समिति को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाएगा।

“ खंड 26 (2) सी (ii)

महिला चयन समिति में पाँच व्यक्ति होंगे।

बी. सी. सी. आई. द्वारा वार्षिक आम बैठक में ऐसे नियमों और शर्तों पर नियुक्त किया जाएगा जो समय-समय पर शीर्ष परिषद द्वारा तय किए जा सकते हैं। केवल महिला राष्ट्रीय टीम का प्रतिनिधित्व करने वाले पूर्व खिलाड़ी ही इसमें नियुक्त होने के पात्र होंगे। समिति, बशर्ते कि वे कम से कम पाँच साल पहले खेल से सेवानिवृत्त हो चुके हों। समिति के सदस्यों में सबसे वरिष्ठ अंतर्राष्ट्रीय को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाएगा।

23. बी. सी. सी. आई. के चुनाव होने तक सी. ओ. ए. को क्रिकेट सलाहकार समिति से परामर्श करने के लिए कहा जाता है।

पूर्व अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटरों को बाहर कर दिया और उपरोक्त मानदंडों के अनुरूप एक समिति निर्वाचकों का गठन किया। के संबंध मेंप्रशिक्षकों, प्रबंधकों, फिजियोथेरेपिस्टों और अन्य कर्मचारियों के लिए, हम निम्नलिखित में खंड 24 (5) में सुझाए गए संशोधन पर विचार करते हैं।

एसः

" खंड 24 (5) भारतीय टीमों के लिए टीम अधिकारियों की नियुक्ति करना जो

अनिवार्य रूप से योग्य प्रशिक्षकों, प्रबंधकों, फिजियोथेरेपिस्ट, पोषण विशेषज्ञ, प्रशिक्षकों, विश्लेषकों, परामर्शदाताओं और चिकित्साकर्मियों को शामिल करें।

प्रत्येक राष्ट्रीय टीम के मुख्य कोच की नियुक्ति नीचे दिए गए नियम 26 (2) ए (ii) में निर्दिष्ट क्रिकेट सलाहकार समिति द्वारा की जाएगी।

सी. कूलिंग ऑफ पीरियड

24. लोढ़ा समिति ने सिफारिश की कि

(i) बी. सी. सी. आई. और राज्य संघों के पदाधिकारियों के लिए प्रत्येक कार्यकाल का कार्यकाल तीन साल होना चाहिए।

((ii) किसी भी पद की परवाह किए बिना अधिकतम तीन कार्यकालों की अनुमति दी जानी चाहिए; और

(iii) प्रत्येक के बाद एक अनिवार्य 'कूलिंग ऑफ पीरियड' होना चाहिए।

अवधि। इन सिफारिशों को करने में, समिति को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता द्वारा निर्देशित किया गया है कि निहित स्वार्थों का उदय न हो।

एक एकल व्यक्ति धारण कर सकता है और लगातार कार्यकालों के बीच एक विराम की आवश्यकता हो सकती है। सिफारिशों को प्राधिकरण के फैलाव को सुनिश्चित करने के प्रयास के रूप में माना जा सकता है ताकि बी. सी. सी. आई. और राज्य संघ व्यक्तियों के एक या सीमित समूह के हाथों में केंद्रित नहीं हैं। कार्यकाल और शर्तों पर सीमा निर्धारित करने के प्रस्ताव

इन्हें एक खंड में शामिल किया गया था जिसे समिति "पारी का अंत" के रूप में वर्णित करती है।
25. इस न्यायालय के प्रमुख निर्णय में लोढ़ा समिति की सिफारिशों को निम्नलिखित कारणों से स्वीकार किया गया है:

" 20 ..... ये सिफारिशें समिति के इस निष्कर्ष के बाद आई हैं कि वर्तमान व्यवस्था के तहत पदाधिकारी कितने भी कार्यकाल के लिए बने रह सकते हैं। समिति ने इन दोनों को अस्वीकार्य पाया और हमारी राय में यह सही है।

लगातार किसी भी कार्यकाल के लिए पद धारण करने वाले व्यक्तियों के कारण अक्सर उत्पन्न होने वाली समस्याओं को देखते हुए, समिति, हमारी राय में, पद पर कार्यकाल की अवधि की सिफारिश करने में उचित थी। द्वारा अनुशंसित तीन वर्ष

समिति, हमारी राय में, तर्कसंगत है। इसी तरह, दो कार्यकालों के बीच शीतलन अवधि के निर्देश को गलत नहीं माना जा सकता है।

भारत में क्रिकेट के लिए नियंत्रण बोर्ड v. क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार [डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.]

इसी तरह, शीर्ष परिषद के सदस्य के रूप में 9 साल की इष्टतम अवधि को अनुचित नहीं कहा जा सकता है। प्रदान किया गया)।

26. लोढ़ा समिति की सिफारिशें, जैसा कि स्वीकार किया गया

इस न्यायालय द्वारा 20 जनवरी 2017 और 24 मार्च 2017 के दो आदेशों में स्पष्ट किया गया है। इस अदालत द्वारा स्पष्टीकरण यह है कि जब बी. सी. सी. आई. में किसी भी पद पर नौ साल पूरे करने वाले पदाधिकारी को फिर से बी. सी. सी. आई. का पदाधिकारी बनने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। इसी तरह की अयोग्यता उस व्यक्ति से जुड़ी होती है जिसने नौ साल तक राज्य संघ में पदाधिकारी का कोई भी पद संभाला हो। स्पष्टता के लिए, 24 मार्च 2017 के आदेश में जो संकेत दिया गया है, वह इस प्रकार है:

" 21 ..... स्पष्टीकरण आदेश का मतलब यह है कि यदि किसी पदाधिकारी ने B.C.C.I में किसी पद पर नौ साल पूरे कर लिए हैं, तो वह इसके पदाधिकारी बनने के लिए अयोग्य हो जाएगा।

एक उदाहरण देकर कहें। यदि कोई व्यक्ति नौ साल की अवधि के लिए राज्य संघ के संबंध में पदाधिकारी के पद पर रहा है, तो उसे पदाधिकारी के पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। B.C.C.I "का।

(जोर दिया गया)

27. कूलिंग ऑफ अवधि के प्रावधान के खिलाफ काफी मात्रा में आग लगाने का निर्देश दिया गया है। अनिवार्य रूप से, कूलिंग ऑफ अवधि

यह निर्धारित करता है कि एक पदाधिकारी आगामी चुनाव लड़ने के लिए पात्र नहीं है। इस सिफारिश की आलोचना इस आधार पर की गई है कि एक व्यक्ति जिसने किसी विशेष पद पर काम करने का अनुभव प्राप्त किया है।

तीन साल तक प्राप्त अनुभव का उपयोग करने में असमर्थ है (तीन साल की कूलिंग ऑफ अवधि के परिणामस्वरूप) जो क्रिकेट के खेल के लिए नुकसान होगा। यह प्रस्तुत किया गया है कि सेवा की निरंतरता खेल के हित को कम करती है और एक व्यक्ति जिसने तीन साल की अवधि में खुद को समृद्ध किया है, उसे उसके बाद भी बिना किसी विराम के योगदान करने की अनुमति दी जानी चाहिए। यह प्रस्तुत किया गया है कि इससे पदाधिकारी अन्य क्रिकेट खेलने वाले देशों और आई. सी. सी. के साथ अपना नेटवर्क विकसित कर सकेंगे। इसके अलावा, चूंकि सत्तर वर्ष की ऊपरी आयु सीमा लागू है, इसलिए यह प्रस्तुत किया गया है कि कूलिंग ऑफ अवधि की आवश्यकता [2018] 9 एस. सी. आर. हो सकती है।

28. कूलिंग ऑफ अवधि की आपत्तियों से निपटने के दौरान, शुरुआत में इस बात पर जोर देना आवश्यक है कि एक पदाधिकारी का कार्यकाल इसे "खुद को समृद्ध करने" के अवसर के रूप में या "सेवा की निरंतरता" से जुड़े मामले के रूप में नहीं माना जा सकता है। अभिव्यक्ति "समृद्ध"

स्वयं का एक वैध अर्थ हो सकता है यदि यह केवल प्राप्त अनुभव के लिए विज्ञापन करता है। अन्यथा, व्यक्तिगत उन्नति के रूप में संवर्धन ठीक वही है जिसे लोढ़ा समिति ने न्यायोचित कारणों से अस्वीकार कर दिया था। राज्य संघों और बी. सी. सी. आई. में एक पदाधिकारी का पद पारंपरिक अर्थों में 'सेवा' का विषय नहीं है। पदधारकों को अपने पद का यह अर्थ नहीं लगाना चाहिए कि वे ऐसे कर्मचारी हैं जिनके पास सेवा के किसी विशेष कार्यकाल का निहित अधिकार है। निस्संदेह, यह निवेदन कि व्यक्तियों को एक ऐसी अवधि के लिए जारी रखना चाहिए जो उन्हें खेल के प्रशासन में अनुभव विकसित करने में सक्षम बनाता है, छूट नहीं दी जा सकती है। समान रूप से, यह चिंता का विषय है कि निहित स्वार्थ और हितों के टकराव सत्ता केंद्रों के आसपास विकसित होते हैं जिनके पास बेलगाम अधिकार होते हैं। सत्ता केंद्रों के स्थायी होने के खिलाफ सुनिश्चित करने के लिए अधिकार का फैलाव एक आवश्यक सुरक्षा है। क्रिकेट के खेल का प्रबंधन करने वाले व्यक्तियों को यह महसूस करना चाहिए कि खेल उनके व्यक्तिगत हितों से कहीं अधिक है। प्रशासन में अनुभव जितना महत्वपूर्ण है, यह मान लेना बहुत मुश्किल है और अदालत के लिए यह स्वीकार करना कहीं अधिक कठिन है कि अनुभव कुछ व्यक्तियों के एक बंद समूह के कंधों पर निर्भर करता है। वास्तव में, प्रतिभा के एक व्यापक निकाय के लिए अवसर अनुभव के फैलाव और अधिकार के लोकतंत्रीकरण को प्रोत्साहित करते हैं।

29. उपरोक्त दृष्टिकोण से समझी गई आवश्यकताएँ जो

एक पदाधिकारी का कार्यकाल तीन वर्ष होना चाहिए; और यह कि एक व्यक्ति को राज्य संघों के लिए नौ वर्ष की समान शर्त के साथ नौ वर्ष से अधिक की अवधि (किसी भी पद पर रहे) के लिए बी. सी. सी. आई. में पद नहीं संभालना चाहिए, स्पष्ट रूप से लोक हित में है। दोनों ने

शक्ति के केंद्रीकरण के खिलाफ सुनिश्चित करने के लिए शर्तें मूल्यवान सुरक्षा उपाय हैं।

30. हालाँकि, कार्यालय में प्रत्येक कार्यकाल के अंत में तीन साल की कूलिंग ऑफ अवधि की आवश्यकता पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। इस तरह की आवश्यकता को लागू करने के खिलाफ तर्क यह है कि भारत में क्रिकेट के लिए नियंत्रण बोर्ड द्वारा v.

क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार [डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.]

एक ऐसे पदाधिकारी की आवश्यकता होती है जिसने तीन साल तक एक पद संभाला हो

तीन साल का विराम पदाधिकारी को क्रिकेट खेल के प्रशासन के संबंध में अपने ज्ञान और अनुभव को लागू करने से रोकता है। न्यायालय के समक्ष जो निवेदन किया गया है वह यह है कि

एक बार जब बी. सी. सी. आई. के लिए नौ साल के कार्यकाल की सीमा होती है, राज्य संघों के लिए नौ साल के समान कार्यकाल के साथ, कार्यालय के प्रत्येक कार्यकाल के अंत में तीन साल की अतिरिक्त शीतलन अवधि आवश्यक नहीं हो सकती है।

31. न्यायमित्र ने लोढ़ा समिति की भावना को ध्यान में रखते हुए कूलिंग ऑफ आवश्यकता का ईमानदारी से समर्थन किया है।

सिफारिशें। एक कूलिंग ऑफ अवधि, यह आग्रह किया गया है कि आवश्यक है

यह सुनिश्चित करने के लिए कि तीन साल की अवधि के बाद, एक व्यक्ति दूसरे संघ में स्थानांतरित होने और एक पदाधिकारी के पद पर कब्जा करने या उसी संघ में किसी अन्य पद पर कब्जा करने में सक्षम नहीं है। न्यायमित्र भी

प्रस्तुत करता है कि 'पदाधिकारी' अभिव्यक्ति को किसी अन्य समिति का सदस्य होने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इन सुरक्षा उपायों के अधीन, न्यायमित्र इस बात से सहमत हैं कि एक व्यक्ति बी. सी. सी. आई. में नौ साल और राज्य संघ में नौ साल की अवधि के लिए सेवा करने में सक्षम हो सकता है।

32. हमारे समक्ष जिन प्रस्तुतियों का आग्रह किया गया है, उनका सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करने के बाद, हमारा विचार है कि एक कूलिंग ऑफ अवधि देखी जानी चाहिए। कूलिंग ऑफ अवधि की कई विशेषताएं हैं जो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं: (i) यह निहित व्यक्तिगत हितों के विकास के खिलाफ एक सुरक्षा है; (ii) यह कुछ हाथों में सत्ता के केंद्रीकरण के खिलाफ सुनिश्चित करता है; (iii) यह अधिकार के फैलाव की सुविधा प्रदान करता है; और (iv) यह अनुभवी प्रशासकों के एक व्यापक निकाय के निर्माण को प्रोत्साहित करता है। कूलिंग

कुछ व्यक्तियों को व्यक्तिगत मैदान के रूप में क्रिकेट के प्रबंधन से रोकने के लिए इसे एक साधन के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। क्रिकेट के अल्पाधिकार के बिना खेल बेहतर होगा।

33. हालाँकि, हमारे विचार में, यह निर्देश देना उचित होगा कि एक व्यक्ति के धारण करने के बाद तीन साल की कूलिंग ऑफ अवधि लागू होगी।

बी. सी. सी. आई. में, या किसी भी राज्य संघ में या दोनों के संयोजन में लगातार दो कार्यकाल। उदाहरण के लिए, यदि किसी पदाधिकारी ने राज्य संघ में किसी भी पद पर लगातार दो कार्यकाल तक पद संभाला है, तो ऐसे व्यक्ति को तीन साल की कूलिंग ऑफ अवधि का सामना करना होगा। इसी तरह, यदि किसी व्यक्ति ने लगातार छह साल की कुल अवधि के लिए बी. सी. सी. आई. के पदाधिकारी के रूप में

कोई पद संभाला है, तो व्यक्ति के पास [2018] 9 एस. सी. आर. के लिए फिर से चुनाव लड़ने से पहले तीन साल की कूलिंग ऑफ अवधि होनी चाहिए।

बी. सी. सी. आई. या किसी राज्य संघ को। कूलिंग ऑफ अवधि ऐसी स्थिति में भी लागू होगी जहां कोई व्यक्ति राज्य संघ में एक कार्यकाल के लिए पद रखता है और उसके बाद बी. सी. सी. आई. में क्रमिक रूप से या इसके विपरीत पद रखता है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि दो साल की छह साल की अवधि के बाद

लगातार अवधि में, एक शीतलन अवधि आकर्षित होगी। एक व्यक्ति को लगातार छह साल तक एक पदाधिकारी के रूप में कार्य करने की अनुमति देना, खेल के हित में प्राप्त अनुभव और ज्ञान के लिए एक पर्याप्त लंबी अवधि है, जिसके परिणामस्वरूप सत्ता का एकाधिकार होता है।

कूलिंग ऑफ अवधि इस प्रकार होगी: " एक पदाधिकारी जिसने लगातार दो बार किसी भी पद पर कार्य किया हो

किसी राज्य संघ या बी. सी. सी. आई. (या दोनों का संयोजन) में कार्यकाल तीन साल की अवधि पूरी किए बिना कोई और चुनाव लड़ने के लिए पात्र नहीं होंगे। शीतलन अवधि के दौरान, ऐसा पदाधिकारी शासी परिषद या बी. सी. सी. आई. की किसी भी समिति का सदस्य नहीं होगा।

या किसी राज्य संघ का "।

उपरोक्त सिद्धांत प्रारूप संविधान के खंड 6 (4) के साथ-साथ खंड 14 (4) को नियंत्रित करेगा। उपरोक्त सिद्धांत यह सुनिश्चित करेगा कि कूलिंग ऑफ अवधि लगातार दो कार्यकालों के लिए किसी भी पद पर रहने वाले व्यक्ति पर लागू होगी जो छह साल से अधिक नहीं होगी।

34. हम तदनुसार स्पष्ट करते हैं कि वर्तमान आदेश में न्यायालय द्वारा अनुमोदित स्थिति निम्नलिखित प्रभाव से होगी:

(i) बी. सी. सी. आई. और राज्य में पदाधिकारी के सभी पदों के लिए कार्यकाल

संघ तीन साल के होंगे।

((ii) कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य संघ में पदाधिकारी का पद, चाहे वह किसी भी पद पर हो, निम्न अवधि से अधिक समय तक नहीं रखेगा -

कुल मिलाकर नौ साल;

(iii) कोई भी व्यक्ति बी. सी. सी. आई. में पदाधिकारी का पद नहीं संभालेगा।

पद की परवाह किए बिना, नौ साल से अधिक की अवधि के लिए कुल मिलाकर;

(iv) भारत में क्रिकेट के लिए दो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के लिए एक व्यक्ति के पदाधिकारी के पद पर रहने के बाद तीन साल की कूलिंग ऑफ अवधि होगी।

राज्य संघ या बी. सी. सी. आई. में लगातार कार्यकाल

या दोनों का संयोजन; और

(v) 'पदाधिकारी' शब्द को किसी अन्य समिति या बी. सी. सी. आई. या किसी राज्य संघ में शासी परिषद का सदस्य होने से दरकिनार करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

मामला हो सकता है।

घ. कार्य प्रभाग, व्यावसायिक प्रबंधन और

अयोग्यताएँ

35. लोढ़ा समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि बी. सी. सी. आई. के आम निकाय में पूर्ण सदस्य और सहयोगी सदस्य शामिल होंगे। रिपोर्ट में एक शीर्ष परिषद का प्रावधान है जो बोर्ड के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है।

36. सामान्य निकाय और शीर्ष परिषद के बीच यह कार्यात्मक अंतर पेशेवरों को सुनिश्चित करने के लिए एक संस्थागत सुरक्षा है बी. सी. सी. आई. का प्रबंधन। शीर्ष परिषद को मुख्य कार्यकारी अधिकारी के माध्यम से पेशेवर प्रबंधन का कार्य सौंपा गया है।

मुख्य वित्तीय अधिकारी और अन्य अधिकारी जिन्हें पारदर्शी और पेशेवर आधार पर भर्ती किया जाना चाहिए। नौ सदस्यों में से

शीर्ष परिषद, पाँच (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, संयुक्त सचिव, खजांची और एक सदस्य) का चुनाव उनके द्वारा किया जाना है।

सामान्य निकाय।

हम शीर्ष परिषद के संबंध में खंड 15 (1) को मंजूरी देते हैं जो

इस प्रकार पढ़ता है:

" बी. सी. सी. आई. के कार्य शीर्ष परिषद द्वारा शासित होंगे और

इसके शासन का ढांचा निम्नलिखित होगा:

(i) इकाई के रणनीतिक मार्गदर्शन को सक्षम करना;

((ii) प्रबंधन की कुशल निगरानी सुनिश्चित करना।

(iii) सी. ई. ओ., प्रबंधकों, क्रिकेट समितियों की संबंधित भूमिकाओं, जिम्मेदारियों और शक्तियों का प्रदर्शन सुनिश्चित करना और

शासी परिषद को छोड़कर स्थायी समितियाँ; और [2018] 9 एस. सी. आर.

((iv) अधिकार का वितरण और संतुलन सुनिश्चित करना ताकि कोई भी एक अधिकार न हो।

व्यक्ति के पास निरंकुश शक्तियाँ होती हैं।

ई. अयोग्यताएँ 37. अयोग्यताओं के संबंध में, हम मसौदे में खंड को स्वीकार करते हैं

सुझाए गए आनुषंगिक संशोधनों के साथ प्रस्तावित परिवर्तन

ई न्यायमित्र। अयोग्यताएं इस प्रकार हैं:

" खंड 6 (5)

एक व्यक्ति को पदाधिकारी होने के लिए अयोग्य ठहराया जाएगा,

शासी परिषद या किसी समिति के सदस्य या

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का प्रतिनिधि या कोई अन्य समान

संगठन यदि वह: (क) भारत का नागरिक नहीं है;

(ख) 70 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है;

ग) दिवालिया घोषित किया जाता है, या अस्वस्थ दिमाग का;

((घ) मंत्री या सरकारी कर्मचारी है या सार्वजनिक पद धारण करता है; (ई) किसी खेल या एथलेटिक संघ में कोई पद या पद रखता है या

क्रिकेट के अलावा संघ;

(छ) न्यायालय द्वारा किसी आपराधिक अपराध के लिए आरोपित किया गया है। अर्थात् आरोप तय करने का आदेश सक्षम अधिकार क्षेत्र वाली अदालत द्वारा पारित किया गया है। 38. संविधान के प्रारूप के खंड 29,33 (1), 33 (2) और 45

एमिकस द्वारा सुझाए गए ऑडिफिकेशन निम्नानुसार हैं:

" खंड 29 सूचना देने के लिए आई. एन. ए. डी. वी. आर. टी. एन. टी. ओ. एम. आई.

बैठक

अनजाने में वार्षिक सामान्य या विशेष सूचना देने का आदेश

शीर्ष परिषद या किसी भी परिषद की आम बैठक या बैठकें

भारत में क्रिकेट के लिए नियंत्रण का गैर-प्राप्ति बोर्ड या उसके लिए हकदार किसी भी सदस्य की समितियाँ।

ऐसा व्यक्ति इसकी कार्यवाहियों को अमान्य नहीं करेगा -

ऐसी बैठकें। खंड 33 (1)

वार्षिक आम बैठक से कम से कम चार सप्ताह पहले चुनाव होने पर शीर्ष परिषद एक निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति करेगी, जो चुनाव आयोग का पूर्व सदस्य होगा।

भारत से।

खंड 33 (2)

निर्वाचन अधिकारी पार्षदों और पार्षदों के लिए मतदाता सूची की जांच सहित पूरी चुनाव प्रक्रिया की देखरेख और पर्यवेक्षण करेगा। खिलाड़ी क्रिकेट संघ, जिसमें सभी नामांकन और उम्मीदवारी शामिल हैं, के अनुसार उनकी जांच के अधीन है

नियम हैं। खंड 45

बी. सी. सी. आई. के इन नियमों और विनियमों को निरस्त, जोड़ा, संशोधित या परिवर्तित नहीं किया जाएगा, सिवाय इसके कि जब इस उद्देश्य के लिए या वार्षिक आम बैठक में बुलाई गई आम निकाय की विशेष आम बैठक में उपस्थित सदस्यों के तीन चौथाई बहुमत द्वारा पारित और अपनाया जाए और मतदान करने का अधिकार हो। ऐसा कोई भी संशोधन माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अनुमति के बिना प्रभावी नहीं होगा। अदालत '।

39. हम उपरोक्त खंडों का अनुमोदन करते हैं। हम दृढ़ता से

कि एक बार इस न्यायालय द्वारा संविधान के मसौदे को मंजूरी मिल जाने के बाद, इस की अनुमति के बिना सुधार को प्रभावी नहीं बनाया जाना चाहिए।

टी.40. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि 27 अक्टूबर 2017 को प्रस्तुत किए गए संविधान के मसौदे को अब इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त संशोधनों के लिए अनुमोदित किया गया है, हम निम्नलिखित निर्देश जारी करते हैं:

1. तमिलनाडु सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1975 के तहत समितियों का पंजीयक उक्त की प्रस्तुति पर होगा

सी. ई. ओ. द्वारा गठन, दस्तावेजों को तुरंत पंजीकृत करें और सचिव को एक रिपोर्ट के माध्यम से अनुपालन की रिपोर्ट करें

चार सप्ताह के भीतर इस न्यायालय के जनरल; [2018] 9 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बी. सी. सी. आई. के उक्त संविधान के पंजीकरण के बाद, प्रत्येक सदस्य अपना-अपना पंजीकरण कराएगा।

इसके बाद 30 दिनों की अवधि के भीतर इसी तर्ज पर संविधान। सी. ओ. ए. को एक अनुपालन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जो इस न्यायालय के समक्ष एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करेगा।

राज्य द्वारा किए गए अनुपालन का संदर्भ

संघ; और

यदि कोई राज्य संघ उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन नहीं करता है, तो इस न्यायालय के 7 अक्टूबर 2016 और 21 अक्टूबर 2016 के आदेशों में निहित निर्देश फिर से लागू होंगे।

प्रशासकों की समिति को भविष्य के ऐसे निर्देश प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता है जो आवश्यक हों और उन्हें सुरक्षित किया जा सके।

सीई।

ली।

निर्देश जारी किए

गए।